BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
OA NO. 649 OF 2025

IN THE MATTER OF:
UPENDRA SHARMA ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ...

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 6- DVISIONAL FOREST OFFICE, MATHURA IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 13.03.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
	ANNEXURES	
2.	COPIES OF THE LETTERS DT. 03.07.2026 AND 06.07.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.
Bhanwar09jadon09@gmail.com| 9639286572

Date: 07.07.2026

Place: NOIDA

-2026

07/7/26

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA NO. 649 OF 2025

NOTARIAL NOTARIAL

IN THE MATTER OF:

UPENDRA SHARMA ....**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

566/7/7/26

......**RESPONDENT(s)**

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 6- DVISIONAL FOREST OFFICE, MATHURA IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 13.03.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, VENKATA SREEKAR PATEL, IFS aged about 34 years S/o VENKATA PRABHAKAR PATEL, SAF, presently posted as DFO MATHURA do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

07/07/26.

MEHRAJ SINGH Advocate MATHURA

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present response.

2. That I state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

3. That the present matter was last listed for hearing on 13.03.2026, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:

"3. Learned counsel appearing Respondent No. 6 has also referred to the satellite imaginary on page 304 and 309 to show that the vegetation which was existing in the year 2016 at the project site was found to be missing in the year 2025. He submits that to ascertain the exact position of the felling of tree or removal of green vegetation the assistance of Revenue Authority is required which they are not extending. Hence, we direct the concerned Revenue Authorities to extend full cooperation to the Respondent No. 6 in ascertaining the illegal felling of trees and destruction of the vegetation at the project site."

566
7246

07/07/26.

... SINGH
Advocate
..., MATHURA

Scanned with OKEN Scanner

4. That in compliance of the aforesaid order, it is submitted that the Deponent has written letters dt. 03.07.2026 and 06.07.2026 to the Sub-Divisional Magistrate, Mathura to direct the Lekhpal and Revenue Inspector concerned with Village Jait, Chhatikara, and Sunrakh Bangar that an on-site inspection of the Khasra numbers of the site in question be conducted along with the Forest Department to ascertain how many trees have been illegally felled, so that the actual status of the illegally felled trees can be known. However, a response to these letters is still awaited, and the Revenue Department has yet to extend the necessary cooperation.

Copies of the letters dt. 03.07.2026 and 06.07.2026 have been annexed herewith as **ANNEXURE R-1.**

5. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

566
7/7/26

07/07/26.

DEPONENT
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा

Advocate
MATHURA

VERIFICATION

Verified at on this _ day of July, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 5 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

07/07/26.

DEPONENT

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा

Deponent Identified

C Varshney Adv.

सतीश चन्द वार्ष्णेय
अधिवक्ता
वन विभाग जिला-मथुरा

V.S. Pachauri AM

7/7/26

ANNEXURE R-1

कार्यालय प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा

ई–मेल: mathuraforest@gmail.com स्वर्ग मार्ग, सिविल लाइन्स, मथुरा (281001) मो0न0– 78394 35136

पत्रांक– 36 /35–3 मथुरा, दिनांक 03-07- 2026

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
सदर, मथुरा।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे मूल आवेदन सं0–649/2025 उपेन्द्र शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.03.2026 के क्रम में दिये गये दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ने मूल आवेदन सं0–649/2025 उपेन्द्र शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य विचाराधीन है जनपद मथुरा स्थित मौजा जैत, छटीकरा व सुनरक बांगर की भूमि के कथित संयुक्त रकवा कुल 574.997 एकड़ में टी0टी0जेड0 क्षेत्र के अन्तर्गत हाईटेक टाउनशिप की स्थापना एवं संचालन की सहमति प्राप्त किये बिना और 400 से अधिक वृक्षों का अवैध पातन किये जाने का आरोप उपरोक्त मूल आवेदन में वादी द्वारा कथित रुप से किया है। प्रकरण में वादी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे मूल आवेदन सं0–649/2025 उपेन्द्र शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में प्रस्तुत आवेदन में जिलाधिकारी, महोदय को प्रतिवादी सं0–08 बनाया गया है।

प्रकरण में मौजा जैत, छटीकरा व सुनरख बांगर के सम्बन्धित लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक के साथ उक्त एरिया के गाटा संख्याओं एवं राजस्व नक्सों के अनुसार उपरोक्त 574.997 एकड़ एरिया का स्थलीय निरीक्षण कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा में 05 सदस्यीय गठित समिति के साथ निरीक्षण करने हेतु सम्बन्धित लेखपाल, राजस्व निरीक्षक को निर्देशित/आदेशित करने हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा के कार्यालय की पत्र सं0–280/35–3, दिनांक 19.02.2026 को तहसीलदार सदर, मथुरा को संयुक्त निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारण हेतु भेजा गया (प्रति संलग्न–1) परन्तु उनके द्वारा कोई तिथि नियत नही की गयी, पुनः उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा की कार्यालय की पत्र सं0–292/35–3, दिनांक 06.03.2026 तिथि निर्धारण हेतु भेजा गया (प्रति संलग्न–2) किन्तु कोई तिथि निर्धारित नही की गयी, चूँकि उक्त प्रकरण मा0 मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से आच्छादित है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2026 (प्रति संलग्न–3) का प्रभावी अंश निम्नवत् हैः–

"Learned counsel appearing Respondent No. 6 has also referred to the satellite imaginary on page 304 and 309 to show that the vegetation which was existing in the year 2016 at the project site was found to be missing in the year 2025. He submits that to ascertain the exact position of the felling of tree or removal of green vegetation the assistance of Revenue Authority is required which they are not extending. Hence, we direct the concerned Revenue Authorities to extend full cooperation to the Respondent No. 6 in ascertaining the illegal felling of trees and destruction of the vegetation at the project site."

उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि ग्राम जैत, छटीकरा व सुनरख बांगर से सम्बन्धित लेखपाल व राजस्व निरीक्षक को निर्देशित/आदेशित करने का कष्ट करे कि वन विभाग के साथ उपरोक्त स्थल के खसरा संख्याओं में कितने वृक्ष अवैध रूप से पातन किया गया है का स्थलीय निरीक्षण किया जाना अतिआवश्यक है जिससे कि अवैध रूप से पातन किए गये वृक्षो की वास्तुथिति की जानकारी की जा सकें। जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराया जा सकें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(वेंकटा श्रीकर पटेल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा

ई-मेलः mathuraforest@gmail.com स्वर्ग मार्ग, सिविल लाइन्स, मथुरा (281001) मो0न0- 78394 35136

पत्रांक- 75 / 35-3 मथुरा, दिनांक 06-07- 2026

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
सदर, मथुरा।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे मूल आवेदन सं0-649/2025 उपेन्द्र शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.03.2026 के क्रम में दिये गये दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- इस कार्यालय का पत्रांक-36/35-3, दिनांक 03.07.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे मूल आवेदन सं0-649/2025 उपेन्द्र शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य विचाराधीन है जनपद मथुरा स्थित मौजा जैत, छटीकरा व सुनरक बांगर की भूमि के कथित संयुक्त रकवा कुल 574.997 एकड़ में टी0टी0जेड0 क्षेत्र के अर्न्तगत हाईटेक टाउनशिप की स्थापना एवं संचालन की सहमति प्राप्त किये बिना और 400 से अधिक वृक्षों का अवैध पातन किये जाने का आरोप उपरोक्त मूल आवेदन में वादी द्वारा कथित रूप से किया है। प्रकरण में वादी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे मूल आवेदन सं0-649/2025 उपेन्द्र शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में प्रस्तुत आवेदन में जिलाधिकारी, महोदय को प्रतिवादी सं0-08 बनाया गया है।

प्रकरण में मौजा जैत, छटीकरा व सुनरख बांगर के सम्बन्धित लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक के साथ उक्त एरिया के गाटा संख्याओं एवं राजस्व नक्सों के अनुसार उपरोक्त 574.997 एकड़ एरिया का स्थलीय निरीक्षण कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा में 05 सदस्यीय गठित समिति के साथ निरीक्षण करने हेतु सम्बन्धित लेखपाल, राजस्व निरीक्षक को निर्देशित/आदेशित करने हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा के कार्यालय की पत्र सं0-280/35-3, दिनांक 19.02.2026 को तहसीलदार सदर, मथुरा को संयुक्त निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारण हेतु भेजा गया, परन्तु उनके द्वारा कोई तिथि नियत नही की गयी, पुनः उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा की कार्यालय की पत्र सं0-292/35-3, दिनांक 06.03.2026 तिथि निर्धारण हेतु भेजा गया, किन्तु कोई तिथि निर्धारित नही की गयी, चूँकि उक्त प्रकरण मा0 मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से आच्छादित है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2026 का प्रभावी अंश निम्नवत् हैः-

"Learned counsel appearing Respondent No. 6 has also referred to the satellite imaginary on page 304 and 309 to show that the vegetation which was existing in the year 2016 at the project site was found to be missing in the year 2025. He submits that to ascertain the exact position of the felling of tree or removal of green vegetation the assistance of Revenue Authority is required which they are not extending. Hence, we direct the concerned Revenue Authorities to extend full cooperation to the Respondent No. 6 in ascertaining the illegal felling of trees and destruction of the vegetation at the project site."

उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा की गयी थी कि ग्राम जैत, छटीकरा व सुनरख बांगर से सम्बन्धित लेखपाल व राजस्व निरीक्षक को निर्देशित/आदेशित करने का कष्ट करे कि वन विभाग के साथ उपरोक्त स्थल के खसरा संख्याओं में कितने वृक्ष अवैध रूप से पातन किया गया है का स्थलीय निरीक्षण किया जाना अतिआवश्यक है जिससे कि अवैध रूप से पातन किए गये वृक्षो की वास्तुथिति की जानकारी की जा सकें किन्तु आप द्वारा अभी तक निरीक्षण हेतु सम्बन्धित लेखपाल व राजस्व निरीक्षक को निर्देशित/आदेशित करते हुए तिथि का निर्धारण नही किया गया है।

अतः सम्बन्धित लेखपाल व राजस्व निरीक्षक को निर्देशित/आदेशित करते हुए तिथि का निर्धारण कर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेंकटा श्रीकर पटेल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,

Scanned with OKEN Scanner